भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 708
दिनांक 08.02.2023/19 माघ, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

हिरासत में यातना और मौत

708. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों में पुलिस हिरासत में हुई सभी मौतों के आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) दर्ज किए गए इन सभी मामलों के संबंध में की गई जांच और मुआवजे के भुगतान की स्थिति क्या है;
(घ) क्या सरकार ने हिरासत में यातना और मृत्यु के मामलों को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में अर्थात, दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक पुलिस हिरासत में मौतों के बारे में पंजीकृत मामलों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): एनएचआरसी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान, पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 201 मामलों में एनएचआरसी ने 5,80,74,998/- रुपये की आर्थिक राहत की और 1 मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी।

(घ) और (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तथापि, केंद्र सरकार समय-समय पर एडवाइजरी जारी करती है और उसने "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआर), 1993" भी अधिनियमित किया है, जिसमें लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों की जांच करने के लिए एनएचआरसी और राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। जब एनएचआरसी को मानव अधिकारों के कथित उल्लंघनों की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो आयोग द्वारा "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। लोक सेवकों को मानव अधिकारों और विशेष तौर पर हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए एनएचआरसी समय-समय पर कार्यशालाएं/सेमिनार भी आयोजित करते हैं।

******

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 708 दिनांक 08.02.2023

अनुलग्नक

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक पुलिस हिरासत में मौतों के बारे में एनएचआरसी द्वारा पंजीकृत मामलों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2017-2018**	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**
1	आंध्र प्रदेश	2	5	3	3	1
2	अरुणाचल प्रदेश	3	2	0	1	0
3	असम	11	5	2	1	9
4	बिहार	7	5	5	3	18
5	छत्तीसगढ़	3	3	3	3	2
6	गोवा	0	0	0	0	1
7	गुजरात	14	13	12	17	24
8	हरियाणा	7	7	3	3	4
9	हिमाचल प्रदेश	2	1	4	0	0
10	झारखंड	6	3	2	5	5
11	कर्नाटक	4	7	4	5	8
12	केरल	3	3	2	1	6
13	मध्य प्रदेश	7	12	14	8	8
14	महाराष्ट्र	19	11	3	13	30
15	मणिपुर	1	3	2	0	1
16	मेघालय	2	0	1	2	4
17	मिजोरम	1	1	1	0	1
18	नागालैंड	0	0	0	0	2
19	ओडिशा	4	4	6	4	2
20	पंजाब	10	5	6	2	8
21	राजस्थान	3	8	5	3	13
22	सिक्किम	0	0	0	0	1
23	तमिलनाडु	11	11	12	2	4
24	तेलंगाना	3	0	0	1	4
25	त्रिपुरा	1	0	1	0	1
26	उत्तर प्रदेश	10	12	3	8	8
27	उत्तराखंड	0	2	1	1	2
28	पश्चिम बंगाल	5	5	7	8	5
29	अंडमान और निकोबार	0	0	1	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	7	8	9	4	1
34	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	2	2
35	लद्दाख	0	0	0	0	0
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
37	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल	**146**	**136**	**112**	**100**	**175**

स्रोत : एन एच आर सी

*****